12/11/24 पत्रावली पेशी में ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।
अपीलार्थी द्वारा 07/2/11 का जवाब पेश किया गया।
उभयपक्ष बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा अपने
प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये
कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से
चक 5 A.S मुरब्बा नं. 61 पटवार नं. 187/487
में 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटित की
गई थी। उसमें से जरिए दान धर्मप्रीत
1.662 है. कमाण्ड / अनकमाण्ड रकबा कुर्क कर
दिया और शेष रही भूमि प्रतिवादी संख्या
2 अमरीक सिंह की पत्नी वीरपाल कौर को
अन्तरित कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1
भजनकौर के नाम 0.633 है. भूमि राजस्व
रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही थी। वादीगण द्वारा
खरीदवक्त उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि का स्वयं के
रूप से खातेदार घोषित करने के लिए अनुतोष चाहा थी
पश्चात भूमि खरीदे दिनांक 2006 को खरीद
की गई थी जो कि उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति थी
हिन्दू विधि प्रावधानों के अनुरूप खातेदार थी स्वअर्जित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:55:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सम्पत्ति पर ~~पर~~ उसके जीवनकाल में किसी का हक हिस्सा नहीं बनता है। (सन्दर्भ न्यायदृष्टान्त) ऐसी स्थिति में वादीगण [illegible] के जीवनकाल हस्तगत वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण प्रस्तुत नहीं होता है। अतः वाद कारण अभाव एवं विधि से बाधित होने के कारण इजा खारिज किया जावे।

अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र सारहीन है राजस्व रिकॉर्ड व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर विधिबाधित नहीं है केवल देरी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण एवं जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण/वादीगण का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। वादपत्र और पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित रकबा प्रतिवादी संख्या 1 का स्वअर्जित सम्पत्ति है चूंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कोई महिला अपने जीवनकाल में खुद से किसी प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करती है तो उसके जीवनकाल में किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते है। न्यायालय [illegible] के मतानुसार हस्तगत वाद [illegible] वर्जित है; अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाना उचित व विधिसम्मत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:55:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

PP-SDM-1

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये

आदेश।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्ष: प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादी के पक्ष एवं वादीगण/अप्रार्थीगण के विरुद्ध बखूबी साबित होने के कारण तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज/नामंजूर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाती है। डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

शकुन्तला
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.04 12:55:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner